

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2025—पौष 26, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. 1170-6-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०२५

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२४

[दिनांक १५ जनवरी, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जनवरी, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम.

२. नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा २३-क में, उप-धारा (१) में,-

धारा २३क का संशोधन.

उप-धारा (१) में,-

(एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर, शब्द "तीन चौथाई" स्थापित किए जाएं;

(दो) परन्तुक के खण्ड (एक) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. 1170-6-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 3 OF 2025

THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)
ACT, 2024

[Received the assent of the Governor on the 15th January, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2024.

Amendment of
Section 23-A.

2. In Section 23-A of the Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Sub-section (1),-
- (1) in the opening paragraph, for the words "two thirds" the words "three fourths" shall be substituted;
 - (2) in clause (i) of the proviso, for the words "two years" the words "three years" shall be substituted.